



प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक

(प्रवर्तक: पंजाब नेशनल बैंक)

प्रधान कार्यालय : रामगंगा विहार, मुरादाबाद

Email: rmbpl@prathamaupbank.co.in

क्षेत्रीय कार्यालय : बलरामपुर
मगवती गंज, बलरामपुर (उ.प्र.)
दूरभाष नंबर - 7217028576

नीलामी सूचना

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 54) के अन्तर्गत बैंक को बंधक अचल सम्पत्तियों नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है और तत्पश्चात उनके द्वारा बैंक ऋण अदा कर सकने में असमर्थ रहने पर निम्नांकित बंधक सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा भी बैंक द्वारा ले लिया गया है और अब नीचे लिखित सम्पत्तियों को जैसा है जहाँ है (As is where is basis) के आधार पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) व 9 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक के विक्रय के लिए निर्णय लिया है।

शाखा का नाम	ऋणी का नाम (सम्पत्ति स्वामी का नाम)	सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख तथा देय राशि	न्यूनतम रिजर्व मूल्य	अर्नेस्ट राशि	नीलामी का दिनांक, समय व स्थान
देवीपाटन (बलरामपुर)	ऋणी: मेसर्स संदीप रेडियो, प्रो. श्री वासुदेव प्रसाद कौशल पुत्र श्री काशी राम कौशल (90118700000 141) गारन्टर: श्री सीता राम पुत्र श्री राम लोटन	एक किता आवासीय प्लॉट (सम्पूर्ण निर्माण सहित), वार्ड संख्या-12, परगना व तहसील-तुलसीपुर, जिला-बलरामपुर। जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट है उक्त प्रॉपर्टी के हक विलेख उप निबंधक तुलसीपुर, बलरामपुर के बही सं० 1 जिल्द सं० 909 पृष्ठ सं० 81 से 100 क्रम सं० 4910 दिनांक: 15.11.2002 पर दर्ज है।	दिनांक: Rs.814606/- + ब्याज + अन्य खर्च - वसूली यदि हो तो	Rs. 1350000/-	Rs. 135000/-	07.11.2022 दिनांक : 09.02.2023 शुक्रवार समय: अपराह्न 12.00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक स्थान: प्रथमा यू पी ग्रामीण बैंक) नई बाजार तुलसीपुर। पता: नई बाजार तुलसीपुर) तुलसीपुर।
नई बाजार तुलसीपुर (बलरामपुर)	ऋणी: श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री पाटनदीन (9025NT0000 3001) गारन्टर: श्री विश्वनाथ पुत्र बंशी लाल	एक किता व्यासायिक / आवासीय मकान (सम्पूर्ण निर्माण सहित), वार्ड संख्या-3, नई बाजार पुरवा, इटवा चौरहा, पोस्ट व तहसील-तुलसीपुर, जिला-बलरामपुर। जिसका क्षेत्रफल 475 वर्गफुट है उक्त प्रॉपर्टी के हक विलेख उप निबंधक तुलसीपुर, बलरामपुर के बही सं० 1 जिल्द सं० 2390 पृष्ठ सं० 353 से 404 क्रम सं० 1984 दिनांक: 29.03.2010 पर दर्ज है।	दिनांक: Rs.662450/- + ब्याज + अन्य खर्च - वसूली यदि हो तो	Rs. 1640000/-	Rs. 164000/-	07.11.2022 दिनांक : 09.02.2023 शुक्रवार समय: अपराह्न 12.00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक स्थान: प्रथमा यू पी ग्रामीण बैंक) नई बाजार तुलसीपुर। पता: नई बाजार तुलसीपुर) तुलसीपुर।

सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण / अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है।

नियम एवं शर्तें : (1) उक्त सम्पत्ति ऊपर दिये गये रिजर्व मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी तथा बोलीदाता 5000 के गुणक में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकेंगे, नीलामी पूर्ण होने पर उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जायेगा। (2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नेस्ट धनराशि प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, शाखा तुलसीपुर, बलरामपुर के पक्ष में देय भुगतान आदेश / मॉग ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई०एम०डी०) के रूप में शाखा प्रबन्धक तुलसीपुर दूरभाष क्रमशः 7217029025 के पास दि० 08.02.2023 तक प्रातः 10:00 से सायं 4:00 बजे तक जमा करना होगा। (3) नीलामी समापन समय पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली की 25 प्रतिशत राशि भुगतान आदेश / मॉग ड्राफ्ट द्वारा प्रारम्भिक डिपोजिट के रूप में जमा करानी होगी अन्यथा उसकी ई०एम०डी० जब्त कर ली जायेगी। अदा की गयी ई०एम०डी० प्रारम्भिक भुगतान राशि में समायोजित कर दी जायेगी। असफल बोली कर्ताओं की ई०एम०डी० नीलामी के समय पर ही लौटा दी जायेगी। (4) बोली की शेष राशि विक्रय की स्वीकृति के पश्चात 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी प्रारम्भिक डिपोजिट राशि जब्त कर ली जायेगी और विक्रय की पुष्टि नहीं की जायेगी। (5) जिस सम्पत्ति के लिए क्रेता अपनी ऑफर दे रहा है, उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय सभी म्यूनिसिपल / टैक्स / बिजली / पानी / अन्य प्रभार ड्यूटीय एवं कर जो भी हों भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की अदायगी भी क्रेता के द्वारा ही की जायेगी। (6) प्राधिकृत अधिकारी को कोई बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। (7) यदि ऋणी विक्रय की तारीख से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। (8) नीलामी का समय उक्तानुसार ही रहेगा।

ऋणियों / जमानतदारों को उपरोक्त वर्णित राशि को नियत तिथि तक ब्याज एवं सहायक खर्चों के साथ नीलामी की दिनांक से पूर्व भुगतान करने हेतु सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 8(6) के तहत सूचित किया जाता है जिसमें चूक होने पर सम्पत्ति नीलाम / बेच दी जायेगी तथा बकाया राशि यदि है तो ब्याज लागत के साथ वसूल की जायेगी। इच्छुक क्रेता संपत्ति व सभी भार / देयताएं / दावों / अधिकारों / के विषय में दिनांक 09.12.2022 से पूर्व स्वयं को संतुष्ट कर सकते हैं।

दिनांक : 23.12.2022

स्थान : बलरामपुर

प्राधिकृत अधिकारी
प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक,
मुख्य प्रबंधक, शाखा कार्यालय
नई बाजार, तुलसीपुर



नीलामी सूचना

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 54) के अन्तर्गत बैंक को बंधक अचल सम्पत्तियों नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है और तत्पश्चात उनके द्वारा बैंक ऋण अदा कर सकने में असमर्थ रहने पर निम्नांकित बंधक सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा भी बैंक द्वारा ले लिया गया है और अब नीचे लिखित सम्पत्तियों को जैसा है जहाँ है (As is where is basis) के आधार पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) व 9 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक के विक्रय के लिए निर्णय लिया है।

शाखा का नाम	ऋणी का नाम (सम्पत्ति स्वामी का नाम)	सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख तथा देय राशि	न्यूनतम रिजर्व मूल्य	अर्नेस्ट राशि	सांकेतिक कब्जा कि तारीख	नीलामी का दिनांक, समय व स्थान
देवीपाटन (बलरामपुर)	ऋणी: मेसर्स संदीप रेडियो, प्रो. श्री वासुदेव प्रसाद कौशल पुत्र श्री काशी राम कौशल (90118700 000141) गारन्टर: श्री सीता राम पुत्र श्री राम लोटन	एक किता आवासीय प्लॉट (सम्पूर्ण निर्माण सहित), वार्ड संख्या-12, परगना व तहसील-तुलसीपुर, जिला- बलरामपुर। जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट है उक्त प्रॉपर्टी के हक विलेख उप निबंधक तुलसीपुर, बलरामपुर के बही सं० 1 जिल्द सं० 909 पृष्ठ सं० 81 से 100 क्रम सं० 4910 दिनांक: 15.11.2002 पर दर्ज है।	दिनांक: 03/08/2022 देय राशि Rs.814606 /- ब्याज, अन्य खर्च - वसूली यदि हो तो	Rs. 1350000/-	Rs. 135000/-	07.11.2022	दिनांक : 09.02.2023, शुक्रवार समय: अपराह्न 12.00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक स्थान: प्रथमा यू पी ग्रामीण बैंक, नई बाजार तुलसीपुर। पता: नई बाजार तुलसीपुर, तुलसीपुर। नई बाजार तुलसीपुर (तुलसीपुर)
नई बाजार तुलसीपुर (बलरामपुर)	ऋणी: श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री पाटनदीन (9025NT 00003001) गारन्टर: श्री विश्वनाथ पुत्र बंशी लाल	एक किता व्यवसायिक / आवासीय मकान(सम्पूर्ण निर्माण सहित), वार्ड संख्या-3, नई बाजार पुरवा, इटवा चौरहा, पोस्ट व तहसील-तुलसीपुर, जिला- बलरामपुर। जिसका क्षेत्रफल 475 वर्गफुट है उक्त प्रॉपर्टी के हक विलेख उप निबंधक तुलसीपुर, बलरामपुर के बही सं० 1 जिल्द सं० 2390 पृष्ठ सं० 353 से 404 क्रम सं० 1984 दिनांक: 29.03.2010 पर दर्ज है।	दिनांक: 04/08/2022 देय राशि Rs.662450 /- ब्याज, अन्य खर्च - वसूली यदि हो तो	Rs. 1640000/-	Rs. 164000/-	07.11.2022	दिनांक : 09.02.2023, शुक्रवार समय: अपराह्न 12.00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक स्थान: प्रथमा यू पी ग्रामीण बैंक, नई बाजार तुलसीपुर। पता: नई बाजार तुलसीपुर, तुलसीपुर।

सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है।
नियम एवं शर्तें : (1) उक्त सम्पत्ति ऊपर दिये गये रिजर्व मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी तथा बोलीदाता 5000 के गुणक में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकेंगे, नीलामी पूर्ण होने पर उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जायेगा। (2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नेस्ट धनराशि प्रथमा यूपी0 ग्रामीण बैंक, शाखा तुलसीपुर, बलरामपुर के पक्ष में देय भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई0एम0डी0) के रूप में शाखा प्रबंधक तुलसीपुर दूरभाष क्रमशः 7217029025 के पास दि० 08.02.2023 तक प्रातः 10:00 से सायं 4:00 बजे तक जमा करना होगा। (3) नीलामी समापन समय पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली की 25 प्रतिशत राशि भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट द्वारा प्रारम्भिक डिपोजिट के रूप में जमा करानी होगी अन्यथा उसकी ई0एम0डी0 जब्त कर ली जायेगी। अदा की गयी ई0एम0डी0 प्रारम्भिक भुगतान राशि में समायोजित कर दी जायेगी। असफल बोली कर्ताओं की ई0एम0डी0 नीलामी के समय पर ही लौटा दी जायेगी। (4) बोली की शेष राशि विक्रय की स्वीकृति के पश्चात 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी प्रारम्भिक डिपोजिट राशि जब्त कर ली जायेगी और विक्रय की पुष्टि नहीं की जायेगी। (5) जिस सम्पत्ति के लिए क्रेता अपनी ऑफर दे रहा है, उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय सभी म्यूनिसिपल/टैक्स /बिजली/पानी/अन्य प्रभार ड्यूटीय एवं कर जो भी होंगे भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की अदायगी भी क्रेता के द्वारा ही की जायेगी। (6) प्राधिकृत अधिकारी को कोई बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। (7) यदि ऋणी विक्रय की तारीख से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। (8) नीलामी का समय उक्तानुसार ही रहेगा।
ऋणियों/जमानतदारों को उपरोक्त वर्णित राशि को नियत तिथि तक ब्याज एवं सहायक खर्चों के साथ नीलामी की दिनांक से पूर्व भुगतान करने हेतु सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 8(6) के तहत सूचित किया जाता है जिसमें चूक होने पर सम्पत्ति नीलाम/बेच दी जायेगी तथा बकाया राशि यदि है तो ब्याज लागत के साथ वसूल की जायेगी। इच्छुक क्रेता संपत्ति व सभी भार/ देयताएं/ दावों/ अधिकारों/ के विषय में दिनांक: 09.12.2022 से पूर्व स्वयं को संतुष्ट कर सकते हैं।
दिनांक : 23.12.2022
स्थान : बलरामपुर

प्राधिकृत अधिकारी
प्रथमा यूपी0 ग्रामीण बैंक,
मुख्य प्रबंधक, शाखा कार्यालय
नई बाजार तुलसीपुर